इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 431] भोपाल, बुधवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2015—कार्तिक 6, शक 1937

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2015

क्र. 84(9)-वि. निर्वा.-चार-2015-उपचुनाव-442.—भारत निर्वाचन आयोग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं—

1. क्रमांक 100-म. प्र.-लो. स.-1-2015 (उप-निर्वाचन) दिनांक 28 अक्टूबर 2015

2. क्रमांक 100-म. प्र.-वि. स.-2-2015 (उप-निर्वाचन) दिनांक 28 अक्टूबर 2015

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, तारीख 28 अक्टूबर 2015—06 कार्तिक, 1937 (शक)

अधिसूचना

100-म. प्र. लो. स.-1-2015 (उप-निर्वाचन) :—यत:, लोक सभा में मध्यप्रदेश राज्य के 24—रतलाम (अ.ज.जा.) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री दिलीप सिंह भूरिया का स्थान, उनके निधन के परिणामस्वरूप दिनांक 24 जून, 2015 को रिक्त हो गया है; और

2. यत:, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149, 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा:—

(अ) मध्यप्रदेश राज्य में उक्त 24—रतलाम (अ.ज.जा.) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबंधों के अनुसार 26 नवम्बर, 2015 (गुरुवार) से पूर्व राज्य से लोक सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उक्त राज्य की अथवा किसी भी अन्य राज्य की अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:—

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	4 नवम्बर, 2015 (बुधवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	5 नवम्बर, 2015 (गुरुवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	7 नवम्बर, 2015 (शनिवार)
(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा:	21 नवम्बर, 2015 (शनिवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:	26 नवम्बर, 2015 (गुरुवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा.

आदेश से,
हस्ता./-
(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road—New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 28th October 2015—06 Kartika, 1937 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100-MP-HP-1-2015 (Bye).—Whereas, the seat of Shri Dileep Singh Bhuria in the House of people elected from 24-Ratlam (ST) Parliamentary Constituency in the State of Madhya Pradesh has become vacant on 24th June, 2015 by reason of his death; and

2. Whereas, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. Now, therefore, in pursuance of Sections 149, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby—

(A) Calls upon the said 24-Ratlam (ST) Parliamentary Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 26th November 2015 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, belonging to any of the Scheduled Tribes whether of that State or of any other State, for the purpose of filling the said vacancy in the House of people;

(B) Appoints, with respect to the said election—

(a) the 4th November, 2015 (Wednesday) as the last date for Making nominations;

(b) the 5th November, 2015 (Thursday) as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 7th November, 2015 (Saturday) as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 21st November, 2015 (Saturday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;

(e) the 26th November, 2015 (Thursday) as the date before which the election shall be completed; and

(C) Fixes the hours from 7.00 A. M. to 5.00 P. M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, तारीख 28 अक्टूबर 2015—06 कार्तिक, 1937 (शक)

अधिसूचना

100-म. प्र. वि. स.-2-2015(उप-निर्वाचन):—यत:, मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा में 171—देवास विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री तुकोजीराव पवार के निधन के परिणामस्वरूप उनका स्थान दिनांक 19 जून, 2015 को रिक्त हो गया है; और

2. यत:, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धारा 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा:—

(अ) मध्यप्रदेश राज्य में उक्त 171—देवास विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबंधों के अनुसार 26 नवम्बर, 2015 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:—

(क)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	4 नवम्बर, 2015 (बुधवार)
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	5 नवम्बर, 2015 (गुरुवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	7 नवम्बर, 2015 (शनिवार)
(घ)	वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा:	21 नवम्बर, 2015 (शनिवार)
(ङ)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:	26 नवम्बर, 2015 (गुरुवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा.

आदेश से,
हस्ता./-
(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road—New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 28rd October, 2015—06 Kartika, 1937 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100-MP-LA-2-2015(Bye).—Whereas, the seat of Shri Tukojirao Puar in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 171—Dewas Assembly Constituency has become vacant on 19th June, 2015 by reason of his death; and

2. Whereas, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby—

(A) Calls upon the said 171—Dewas Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 26th November, 2015 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election—

- (a) the 4th November, 2015 (Wednesday) as the last date for Making nominations;
- (b) the 5th November, 2015 (Thursday) as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 7th November, 2015 (Saturday) as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 21th November, 2015 (Saturday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;
- (e) the 26th November, 2015 (Thursday) as the date before which the election shall be completed; and

(C) Fixes the hours from 7.00 A. M. to 5.00 P. M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Secretary,
Election Commission of India.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.